भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1682
गुरूवार, 03 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

बेरोजगारी दर में वृद्धि/कमी

1682. डा. सस्मित पात्राः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018 से राज्यों में राज्य-वार और वर्ष-वार प्रतिशत के संदर्भ में बेरोजगारी दर में वृद्धि और/या गिरावट का ब्यौरा क्या है**;**

(ख) बेरोजगारी दर में ऐसी वृद्धि या गिरावट के क्या कारण हैं**;**

(ग) सरकार ऐसी बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है**;** और

(घ) इस बेरोजगारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**बेरोजगारी दर (% में)**
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले वर्षों से देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में, विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों को सृजित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 02 जुलाई 2023 तक, इस योजना के तहत 60.42 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए, उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 14 जुलाई, 2023 तक, 50.18 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 07 जुलाई, 2023 तक इस योजना के तहत 42.29 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 03.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1682 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा (% में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7	4.1	4.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7	5.7	7.7
3.	असम	7.9	6.7	7.9	4.1	3.9
4.	बिहार	7.0	9.8	5.1	4.6	5.9
5.	छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3	2.5	2.4
6.	दिल्ली	9.4	10.4	8.6	6.3	5.3
7.	गोवा	13.9	8.7	8.1	10.5	12.0
8.	गुजरात	4.8	3.2	2.0	2.2	2.0
9.	हरियाणा	8.4	9.3	6.4	6.3	9.0
10.	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7	3.3	4.0
11.	झारखंड	7.5	5.2	4.2	3.1	2.0
12.	कर्नाटक	4.8	3.6	4.2	2.7	3.2
13.	केरल	11.4	9.0	10.0	10.1	9.6
14.	मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0	1.9	2.1
15.	महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2	3.7	3.5
16.	मणिपुर	11.5	9.4	9.5	5.6	9.0
17.	मेघालय	1.6	2.7	2.7	1.7	2.6
18.	मिजोरम	10.1	7.0	5.7	3.5	5.4
19.	नागालैंड	21.4	17.4	25.7	19.2	9.1
20.	ओडिशा	7.1	7.0	6.2	5.3	6.0
21.	पंजाब	7.7	7.4	7.3	6.2	6.4
22.	राजस्थान	5.0	5.7	4.5	4.7	4.7
23.	सिक्किम	3.5	3.1	2.2	1.1	1.6
24.	तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3	5.2	4.8
25.	तेलंगाना	7.6	8.3	7.0	4.9	4.2
26.	त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2	3.2	3.0
27.	उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1	6.9	7.8
28.	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4	4.2	2.9
29.	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6	3.5	3.4
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6	9.1	7.8
31.	चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3	7.1	6.3
32.	दादरा एवं नगर हवेली	0.4	1.5	3.0	4.2	5.2
33.	दमन और दीव	3.1	0.0	2.9		
34.	जम्मू एवं कश्मीर	5.4	5.1	6.7	5.9	5.2
35.	लद्दाख	-	-	0.1	2.9	3.3
36.	लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7	13.4	17.2
37.	पुडुचेरी	10.3	8.3	7.6	6.7	5.8
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**	**4.8**	**4.2**	**4.1**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई